

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 100/2023 FSSA

- सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा

— आवेदक—

बनाम

- श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री देवकरण मीना
मैसर्स:-इन्द्रप्रस्थ पवित्र भोजनालय पता:- मेहन्दीपुर बालाजी मोड सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक:- 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 23.08.2023 को दोपहर 12:50 बजे श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री देवकरण मीना मैसर्स:-इन्द्रप्रस्थ पवित्र भोजनालय, मेहन्दीपुर बालाजी मोड सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री देवकरण मीना उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के भोजनालय पर साफ स्टील की भगोनी में लगभग 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जाँच हेतु 800 ग्राम दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) खरीदा। जिसकी कीमत 48 रुपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) को हिलामिलाकर मैश कर चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलीन की 16-16 बून्दे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक AG-3704 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर AG-3704 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
प्रति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म संख्या 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग कर आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकेट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.08.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकेट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओं दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबन्द पैकेट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1527/एक्ट/2023/1549 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार यह नमूना अमानक (SUBSTANDARD) का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया एवं बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1527/एक्ट/2023/1549 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) के नमूने की जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:-

खाद्य पदार्थ के नमूने में Fat 3.50 % पाया गया है जो कि निर्धारित मानको के अनुसार कम से कम 4.50 % होना चाहिये था।

उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में Determination of total solids in Dahi 12.86% पाया गया है जो कि निर्धारित मानको के अनुसार कम से कम 13.0 % होना चाहिया था।

इस प्रकार से खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) के नमूने में Fat तथा Determination of total solids in Dahi तय मानको से कम पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 3(1)(zx) का उल्लंघन होने से यह खाद्य पदार्थ अमानक (SUBSTANDARD) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।


प्रकरण संख्या : 100 / 2023 FSSA

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा बाजार से बहुत कम मात्रा में लगभग 2-3 किलोग्राम खुला दही क्रय किया जाकर भोजनालय में विभिन्न प्रकार की सब्जी बनाने हेतु काम में लिया जाता था। वर्तमान में भोजनालय भी बन्द कर दिया गया है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1527 / एक्ट / 2023 / 1549 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) में Fat तथा Determination of total solids in Dahi तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अमानक (SUBSTANDARD) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज मिश्रित दुध से निर्मित (Dahi Loose Prepared With Mixed Milk) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री देवकरण मीना मैसर्स:-इन्द्रप्रस्थ पवित्र भोजनालय पता:- मेहन्दीपुर बालाजी मोड सिकराय जिला दौसा पर 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2026 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa)के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द शर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा


दिनांक:- 27.04.2026

क्रमांक / FSSA / 2026 / 133-35

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री देवकरण मीना

मैसर्स:-इन्द्रप्रस्थ पवित्र भोजनालय पता:- मेहन्दीपुर बालाजी मोड सिकराय जिला दौसा।


(अरविन्द शर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा